COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(120)

पुनरीक्षण याचिका कमांक ..../17
प्रस्तुति दिनांक : 22.07.2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) इंदौर के समक्ष

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2017/2964

किशोर पिता रोहीदास पवार
उम्र 38 वर्ष व्यवसाय कृषि एव नौकरी
निवासी :– ग्राम डोंगरगांव तहसील व जिला बुरहानपुर ....याचिकाकर्ता

वि रू द्ध

1. छगनलाल पिता मदनलाल चौकसे
   उम्र वयस्क धंधा कृषि
   निवासी – ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर
2. दिनेश पिता मदनलाल चौकसे
   उम्र वयस्क धंधा कृषि
   निवासी – सदर
3. दिलीप पिता मदनलाल चौकसे
   उम्र वयस्क धंधा कृषि
   निवासी – सदर
4. सुरेश पिता मदनलाल चौकसे
   उम्र वयस्क धंधा कृषि
   निवासी – सदर

..... प्रत्यर्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 22-07-2017
को प्रस्तुत।
493
22-07-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

निगरानी याचिका अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर जिला बुरहानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 02–अ/13/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 22–06–2017 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / बुरहानपुर / भू.रा. / 2017 / 2964

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—9—2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के अन्तरिम आदेश दिनांक 22—6—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता अन्तरिम रूप से खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । नायब तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	